

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामरतन सौकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 340/16

निर्णय दिनांक:-27-11-2019

(आरसीएमएस संख्या 2016/00075)

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ढाकली तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

-अपीलांत-

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

-रेस्पोडेन्ट-

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 29-02-1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांत
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-



अपीलांत ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 29-02-1999 जिसके द्वारा अपीलांत का आवंटन किशतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।


2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांत को चक 2 पीएसएसएम के मुरब्बा नम्बर 121/24 व मुरब्बा नम्बर 121/32 में तादादी 50 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांत को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। परन्तु वादगत् भूमि अनकमाण्ड होने तथा पिछले दो वर्षों से वर्षा न होने के कारण उक्त भूमि पूर्ण रूप से काश्त नहीं कर पाया। इस कारण अपीलांत सगय पर किशतें जमा नहीं करवा सका। अपीलांत बकाया किशतें जमा करवाने हेतु आज दिनांक को भी तैयार है तथा अपीलांत द्वारा बकाया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किश्तें जमा करवाने हेतु कभी भी इंकार नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।


उन्होंने आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट आज भी वादगत भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।



विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29-02-1999 के विरुद्ध अपील दिनांक 17-10-14 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29-02-1999 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 17-10-2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद


राजस्थ अपील अधिकारी
डी.के.एन.

अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।


(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को चक 2 पीएसएसएम के मुर्ब्बा नम्बर 121/24 व मुर्ब्बा नम्बर 121/32 में तादादी 50 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटित भूमि की किश्तें जमा नहीं करवाई गईं। इस संबंध में संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर तत्कालीन पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट के विरुद्ध 9520/- रुपये किश्त पेटे बकाया है तथा वह स्वयं मौके पर आबाद होकर काश्त नहीं कर रहा है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस क्रमांक 76 दिनांक 08-01-1999 व नोटिस क्रमांक 572 दिनांक 22-0-1999 जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलांट स्वयं अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया व ना ही वादगत् भूमि के बाबत् बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई। जिसके फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का रकबा किश्तों के अभाव में दिनांक 29-02-1999 को निरस्त कर दिया गया।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी करते हुए बकाया राशि जमा कराने हेतु लिखा गया था। अपीलांट द्वारा उक्त नोटिस की अनुपालना में बकाया राशि जमा नहीं करवाई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 29-02-1999 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजस्व अपील प्रार्थी) जारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

